बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

अधिसूचना

संख्याः 11 / नियमा–01–01 / 2020..1111 पटना, दिनांक 20.08.2020

भारत के संविधान के अनुच्छेद–243 ब (12वीं अनुसूची) तथा बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 की धारा–45, 47 (4) एवं 419 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य के राज्यपाल द्वारा शहरी क्षेत्र के राजकीय, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक / उच्च माध्यमिक / उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक, प्रधान अध्यापक / पुस्तकालयाध्यक्ष के नियुक्ति / प्रोन्नति एवं उनके सेवाशर्त्त को विनिश्चित करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :–

1. **प्रस्तावना :–**

राज्य में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्पित है। इस हेतु संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के आलोक में सरकार ने वर्ष 2006 में यह निर्णय लिया कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियुक्ति का विकेन्द्रीकरण किया जाय। इस क्रम में शहरी क्षेत्र के माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक, प्रधान अध्यापक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के नियुक्ति / प्रोन्नति की जिम्मेवारी नगर निकाय को सौंपी गई। शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया एवं सेवाशर्त्त आदि में सुधार के उदेश्य से यह नियमावली बनायी जा रही है।

2. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :–**

(क) यह नियमावली ''बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020'' कही जायेगी।

(ख) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(ग) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

3. परिभाषाएँ :– इस नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ के विरूद्ध कोई बात न हो –

(i) **"सरकार"** से अभिप्रेत है, बिहार सरकार ;

(ii) **"प्रशासी विभाग"** से अभिप्रेत है, शिक्षा विभाग ;

(iii) **"माध्यमिक विद्यालय"** से अभिप्रेत है, राजकीय / राजकीयकृत / प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक / उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय जिसमें, कक्षा 10 तक की पढ़ाई होती है ;

(iv) **"उच्च माध्यमिक विद्यालय"** से अभिप्रेत है, राजकीय / राजकीयकृत / प्रोजेक्ट

कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय/उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसमें कक्षा–12 तक की पढ़ाई होती है ;

(v) **''नगर निकाय''** से अभिप्रेत है, शहरी क्षेत्र के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के अधीन गठित स्वशासी संस्था–नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत ;

(vi) **"संवर्ग"** से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन नगर निकाय क्षेत्राधीन नियुक्त होने वाले शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक का संवर्ग;

(vii) **"नियुक्ति प्राधिकार"** से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन पैनल निर्माण हेतु गठित होने वाली समिति, जो शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं प्रधान अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति/प्रोन्नति करने हेतु सक्षम हो ;

(viii) **"अनुशासनिक प्राधिकार"** से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं प्रधान अध्यापक के पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति करने हेतु गठित समिति, जो इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु सक्षम हो ;

(ix) **''अपीलीय प्राधिकार''** से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन नियुक्ति संबंधी शिकायत/अपील तथा इस नियमावली के अधीन कार्यरत प्रधान अध्यापक/शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष की सेवाशर्त से जुड़े मामलों पर अपील सुनकर विनिश्चय करने हेतु जिला स्तर पर गठित ''जिला अपीलीय प्राधिकार'' एवं जिला अपीलीय प्राधिकार के निर्णय पर अपील सुनने हेतु राज्य स्तर पर गठित ''राज्य अपीलीय प्राधिकार'' ;

(x) **"शिक्षक" से अभिप्रेत है** –

(क) इस नियमावली के अधीन कक्षा 10 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त नगर माध्यमिक शिक्षक ;

(ख) इस नियमावली के अधीन कक्षा 12 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त नगर उच्च माध्यमिक शिक्षक ;

(xi) **"पुस्तकालयाध्यक्ष"** से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में अवस्थित पुस्तकालय की व्यवस्था एवं पुस्तकों के रख रखाव के लिए नियुक्त पुस्तकालयाध्यक्ष ;

(xii) **"प्रधान अध्यापक"** से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त प्रधान अध्यापक ;

(xiii) **"शिक्षकेत्तर कर्मी"** से अभिप्रेत है –

बिहार सरकार द्वारा विहित प्रावधानों के अधीन नगर निकाय द्वारा माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त होने वाले कर्मी, जो शिक्षण कार्य में संलग्न नहीं हों ;

(xiv) **"विश्वविद्यालय"** से अभिप्रेत है, परिनियत (स्टैच्यूटरी) से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ;

(xv) **''राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्''** से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय स्तर पर विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थानों एवं प्रशिक्षण व्यवस्था को विनियमित करने वाली परिषद् ;

(xvi) **"शिक्षक पात्रता परीक्षा"** से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन सीधी नियुक्ति प्रक्रिया से नियुक्त होने वाले शिक्षक के पद से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा ;

(xvii) **"पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा"** से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन सीधी नियुक्ति प्रक्रिया से नियुक्त होने वाले पुस्तकालयाध्यक्ष के पद से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा ;

(xviii) **"शिक्षक प्रशिक्षण"** से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) अधिनियम, 1993 के प्रवृत्त होने के पूर्व केन्द्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरान्त NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थानों से बी०एड०/बी०ए०एड० /बी०एससी०एड० की डिग्री अथवा वैसे राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश जहाँ NCTE अधिनियम प्रभावी नहीं है, उस राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बी०एड०/ बी०ए०एड०/ बी०एससी०एड० की डिग्री ;

4. <u>संवर्ग का गठन</u> :–

नगर निकाय अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों के संवर्ग का गठन निम्नवत् किया जाता है :–

(i) नगर माध्यमिक शिक्षक ;

(ii) नगर उच्च माध्यमिक शिक्षक ;

(iii) प्रधान अध्यापक ;

5. **नगर माध्यमिक शिक्षक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाऐंगे।**

नगर माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हता निम्नवत् होंगीः–

(i) भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हों।

(ii) (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित विनिर्दिष्ट विषय/विषय समूह के साथ स्नातक/ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 05 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड/मौलाना मज़हरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री के डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जायेगा।

साथ ही, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)।

अथवा

13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय–सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनियम) तथा (10.12.2007 को अधिसूचित) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम–2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक/स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 05 प्रतिशत की छूटं दी जाएगी। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड/मौलाना मज़हरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री के डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जायेगा।

साथ ही, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)।

अथवा

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बी०ए०एड०/बी०एससी०एड० की चार वर्षीय डिग्री।

(ख) **<u>शारीरिक शिक्षा शिक्षक के पद के लिए अर्हता</u>** :–

एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 05 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

अथवा

एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अन्तर–विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा ऐथलेटिक्स में सहभागिता।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए न्यूनतम निधारित अंक में 05 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक डिग्री तथा राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अन्तर–विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेलों अथवा ऐथलेटिक्स में सहभागिता। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग /महिला एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए न्यूनतम निधारित अंक में 05 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

अथवा

प्रतिनियुक्त सेवारत अभ्यर्थी (अर्थात् प्रशिक्षित शारीरिक अध्यापक/ कोच)–45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/ महिला एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 05 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

साथ ही, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2009 के अनुसार कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 05 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

अथवा

एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 40 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 05 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

अथवा

ऐसा स्नातक, जिसने खेलकूद/खेलों में स्कूल, अन्तर कॉलेजिएट में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 (10.12.2007) को अधिसूचित के अनुसार एन0सी0सी0 'सी' प्रमाण पत्र पास किया हो।

अथवा

शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक अर्थात बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम (अथवा इसके समतुल्य)

अथवा

ऐसा स्नातक, जिसने खेलकूद/खेलों/ऐथलेटिक्स में राज्य/विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो।

अथवा

ऐसा स्नातक, जिसने अन्तर–कॉलेजिएट खेलकूद/खेल प्रतियोगिताओं में पहला, दूसरा अथवा तीसरा स्थान प्राप्त किया हो/एन0सी0सी0 'सी' प्रमाण पत्र का धारक हो अथवा जिसने जोखिमपूर्ण खेलकूद में बुनियादी पाठ्यक्रम पास किया हो।

अथवा

13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय–सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 के अनुसार खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रबंध, खेलकूद कोचिंग, योगा, ओलंपिक शिक्षा, खेलकूद पत्रकारिता आदि में एक वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित स्नातक।

तथा

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातक (बी0पी0एड0) अथवा इसके समतुल्य।

(ग) **ओरिएंटल शिक्षक के लिए अर्हता** :–

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/समिति से संस्कृत/फारसी/अरबी में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक अथवा स्नातक स्तर की समतुल्य डिग्री। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 05 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

(ii) मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से शिक्षा में स्नातक (बी०एड० की डिग्री)।

(घ) **संगीत/ललित कला शिक्षक लिए अर्हता** :–

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से संगीत/ललित कला विषय में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ

स्नातक–डिग्री अथवा उसके समतुल्य अर्हता। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 05 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

(iii) बिहार सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण।

(iv) <u>आयु</u> :–

नियुक्ति वर्ष की पहली अगस्त को माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर विहित की जाय। साथ ही, अधिकतम आयु में अन्य कोई भी छूट सामान्य प्रशासन विभाग से सहमति प्राप्त कर प्रशासी विभाग द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

6. **नगर पुस्तकालयाध्यक्ष के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाऐंगे।**

नगर पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए आवश्यक अर्हता निम्नवत् होंगी :–

(i) भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हों।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक की डिग्री हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 05 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड/मौलाना मज़हरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री के डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जायेगा।

(iii) मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री।

(iv) बिहार सरकार द्वारा आयोजित पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण।

(v) <u>आयु</u> :–

नियुक्ति वर्ष की पहली अगस्त को पुस्तकालयाध्यक्ष के अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर विहित की जाय। साथ ही, अधिकतम आयु में अन्य कोई भी छूट सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति प्राप्त कर प्रशासी विभाग द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

7. **नगर उच्च माध्यमिक शिक्षक के 50 प्रतिशत पद प्रोन्नति से भरे जाऐंगे, जबकि शेष 50 प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति से भरे जाऐंगे।**

(1) **नगर उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हता निम्नवत् होगी :-**

(i) भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हों।

(ii)(क) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्तपिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 05 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड/मौलाना मज़हरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना द्वारा प्रदत्त फाजिल की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आचार्य की डिग्री को स्नातकोत्तर के समतुल्य माना जायेगा। साथ ही, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान के शिक्षा में स्नातक (बी०एड०/बी०ए०एड०/बी०एससी०एड०)।

अथवा

(13.11.2002 को अधिसूचित) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ अत्यन्तपिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग / महिला एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक में 05 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड/मौलाना मज़हरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना द्वारा प्रदत्त फाजिल की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आचार्य की डिग्री को स्नातकोत्तर के समतुल्य माना जायेगा। साथ ही, मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से बी०एड०/बी०ए०एड०/बी०एससी०एड०।

(ख) कम्प्यूटर विषय एवं संगीत विषय के शिक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर/समतुल्य योग्यता अनिवार्य होगा। इन

पदों पर नियुक्ति हेतु बी०एड० / बी०ए०एड० / बी०एससी०एड० की डिग्री की अनिवार्यता नहीं होगी।

(ग) कृषि विषय का शिक्षक :– राज्य के चिन्हित उच्च माध्यमिक विद्यालयों (11 एवं 12 के छात्रों के लिए) में कृषि विषय के पद सृजित है। इस पद पर नियुक्ति के लिए कृषि/उद्यान में स्नातक तथा Agronomy/Plant Breeding & Genetics/Entomology/Plant Pathology/Seed Science & Technology/Soil Science/Horticulture में से किसी विषय में स्नातकोत्तर अर्हक योग्यता धारित करना आवश्यक होगा। इस पद पर नियुक्ति हेतु बी०एड०/बी०ए०एड०/बी०एससी०एड० की डिग्री की अनिवार्यता नहीं होगी।

(iii) बिहार सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण।

(iv) <u>आयु</u> :–

नियुक्ति वर्ष के पहली अगस्त को उच्च माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर विहित की जाय। साथ ही, अधिकतम आयु में अन्य कोई भी छूट सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से प्रशासी विभाग द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

(2) **नगर उच्च माध्यमिक शिक्षक के 50 प्रतिशत पद जो प्रोन्नति से भरे जाऐंगे, से संबंधित आवश्यक अर्हता निम्नवत् होगी :–**

(i) नगर माध्यमिक शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता (बी0एड0/बी०ए०एड०/बी०एससी०एड०) प्राप्त करने की तिथि (जो बाद की तिथि हो) से न्यूनतम 04 वर्ष की लगातार सेवा हो।

(ii) जिस विषय समूह से स्नातक किया हो, उसी विषय समूह के किसी विषय से न्यूनतम कुल 45 प्रतिशत अंक के साथ स्नातकोत्तर की योग्यता हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग एवं महिला के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 05 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

(iii) मूल्यांकन (दक्षता जॉच)/शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हों।

(iv) प्रोन्नति वर्ष के 03 वर्ष पूर्व तक का यथा निर्देशित स्वच्छता प्रमाण पत्र।

8. **प्रधान अध्यापक के सभी पद प्रोन्नति से भरे जाऐंगे। इस हेतु आवश्यक अर्हता निम्नवत् होंगी :–**

(i) नगर माध्यमिक शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता (बी0एड0/बी०ए०एड०/बी०एससी०एड०) प्राप्त करने की तिथि (जो बाद की तिथि हो) से न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा हो,

अथवा

नगर उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता (बी0एड0/बी०ए०एड०/बी०एससी०एड०) प्राप्त करने की तिथि (जो बाद की तिथि हो) से न्यूनतम 06 वर्ष की लगातार सेवा हो।

(ii) न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक के साथ स्नातकोत्तर की योग्यता हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग एवं महिला के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक में 05 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

(iii) मूल्यांकन (दक्षता जॉच)/शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हों।

(iv) प्रोन्नति वर्ष के 03 वर्ष पूर्व तक का यथा निर्देशित स्वच्छता प्रमाण पत्र।

9. **आरक्षण :-**

(i) राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान नगर निकाय अन्तर्गत होने वाले सीधी नियुक्ति पर भी प्रभावी होगा। इसी प्रकार, राज्य सरकार के अधीन प्रोन्नति में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान नगर निकाय अन्तर्गत होने वाले प्रोन्नति पर भी प्रभावी होगा।

(ii) (क) नगर माध्यमिक/नगर उच्च माध्यमिक शिक्षक का नियुक्ति जिलास्तर पर विषयवार आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जायेगा।

(ख) नगर पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जायेगा।

(iii) नगर माध्यमिक शिक्षक/नगर उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं नगर पुस्तकालयाध्यक्ष का आरक्षण-समाशोधन से संबंधित कार्य क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा किया जायेगा।

(iv) इसी प्रकार प्रोन्नति के पद से संबंधित आरक्षण को लागू करने हेतु यथा निर्देशित रोस्टर बिन्दु (आरक्षण) के समाशोधन से संबंधित कार्य क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा किया जायेगा।

10. **नियुक्ति की प्रक्रिया :-**

(i) राज्य सरकार द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से नगर माध्यमिक शिक्षक/उच्च माध्यमिक शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्षों के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु पदों की संख्या संसूचित की जायेगी।

(ii) सरकार द्वारा, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार क्रमशः नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत क्षेत्र में अवस्थित राजकीय, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के विषयवार, आरक्षण-कोटिवार एवं

पुस्तकालयाध्यक्षों के, आरक्षण–कोटिवार रिक्त पदों की सूचना का प्रकाशन संबंधित निकाय के सदस्य–सचिव द्वारा पूरे जिला में कम से कम 30 (तीस) दिनों के लिए किया जायेगा। सूचना की एक प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित की जायेगी।

(iii) निर्धारित न्यूनतम अर्हताधारित अभ्यर्थियों के द्वारा समय–समय पर उपलब्ध कराए गए विहित प्रपत्र में आवेदन संबंधित नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत के सदस्य–सचिव के कार्यालय में हाथों–हाथ या स्पीड–पोस्ट/निबंधित डाक के माध्यम से दिए जायेंगे।

(iv) नगर माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति पैनल के आधार पर होगी। पैनल विषयवार होगा, जिसकी वैधता अंतिम पैनल प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी। मेधा अंक के अवरोही क्रम के आधार पर पैनल का निर्माण किया जाएगा। मेधा अंक की गणना निम्नरूपेण की जाएगी :–

मेधा अंक :	स्नातक स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत	+	बी०एड० स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत
	2		

जिन विषयों में नियुक्ति हेतु बी०एड० होना आवश्यक नहीं है, उनके संदर्भ में स्नातक स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत ही मेधा अंक होगा। साथ ही, बी0ए0एड0/बी0एससी0एड0 योग्यताधारियों के लिए बी0ए0एड0/बी0एससी0एड0 स्तर पर पठित सभी विषयों के प्राप्तांक का प्रतिशत ही उनका मेधा अंक होगा।

भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को मेधा अंक में 10 अंकों का अतिरिक्त वेटेज देय होगा। इसी प्रकार, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में न्यूनतम एक वर्ष की अवधि तक कार्य करने वाले अभ्यर्थीगण को मेधा अंक में 05 अंकों का अतिरिक्त वेटेज देय होगा।

मेधा अंक समान होने पर, जिनकी जन्म तिथि पहले होगी उन्हें पैनल में ऊपर रखा जायेगा। समान अंक एवं समान जन्म तिथि होने पर अंग्रेजी के शब्दकोष के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम पहले होगा, उसका पैनल में ऊपर स्थान निर्धारित किया जाएगा। इसमें भी समानता होने पर लॉटरी के माध्यम से स्थान का निर्धारण किया जायेगा।

(v) नगर उच्च माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति पैनल के आधार पर होगी। पैनल विषयवार होगा, जिसकी वैधता अंतिम पैनल प्रकाशन की तिथि से

एक वर्ष के लिए होगा। मेधा अंक के अवरोही क्रम के आधार पर पैनल का निर्माण किया जाएगा। मेधा अंक की गणना निम्नरूपेण की जाएगी:–

मेधा अंक :	स्नातकोत्तर स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत	+	बी०एड०/बी०ए०एड०/ बी०एससी०एड० स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत
	2		

जिन विषयों में नियुक्ति हेतु बी०एड० होना आवश्यक नहीं है, उनके संदर्भ में स्नातकोत्तर स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत ही मेधा अंक होगा। साथ ही, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को मेधा अंक में 10 अंकों का अतिरिक्त वेटेज देय होगा। इसी प्रकार, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में न्यूनतम एक वर्ष की अवधि तक कार्य करने वाले अभ्यर्थीगण को मेधा अंक में 05 अंकों का अतिरिक्त वेटेज देय होगा।

मेधा अंक समान होने पर, जिनकी जन्म तिथि पहले होगी उन्हें पैनल में ऊपर रखा जायेगा। समान अंक एवं समान जन्म तिथि होने पर अंग्रेजी के शब्दकोष के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम पहले होगा, उसका पैनल में ऊपर स्थान निर्धारित किया जाएगा। इसमें भी समानता होने पर लॉटरी के माध्यम से स्थान का निर्धारण किया जायेगा।

(vi) नगर पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति पैनल के आधार पर होगी। पैनल की वैधता अंतिम पैनल प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष के लिए होगा। मेधा अंक के अवरोही क्रम के आधार पर पैनल का निर्माण किया जाएगा। मेधा अंक की गणना निम्नरूपेण की जाएगी :–

मेधा अंक :	स्नातक स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत	+	बी०लिब० (B.Lib) स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत
	2		

भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को मेधा अंक में 10 अंकों का अतिरिक्त वेटेज देय होगा।

मेधा अंक समान होने पर, जिनकी जन्म तिथि पहले होगी उन्हें पैनल में ऊपर रखा जायेगा। समान अंक एवं समान जन्म तिथि होने पर अंग्रेजी के शब्दकोष के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम पहले होगा, उसका पैनल में ऊपर स्थान निर्धारित किया जाएगा। इसमें भी

समानता होने पर लॉटरी के माध्यम से स्थान का निर्धारण किया जायेगा।

(vii) **पैनल निर्माण हेतु समिति का गठन :—**

प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर पैनल का निर्माण निम्नलिखित समिति के द्वारा किया जायेगा :—

नगर पंचायत/नगर परिषद् के लिए समिति :—

क	मुख्य पार्षद नगर पंचायत/नगर परिषद्	—अध्यक्ष
ख	नगर पंचायत/नगर परिषद की शिक्षा समिति का एक चयनित सदस्य (पुरूष अध्यक्ष होने पर चयनित सदस्य महिला होगी)	—सदस्य
ग	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत/नगर परिषद	—सदस्य सचिव
घ	संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नामित शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी	—सदस्य

उपर्युक्त में अगर कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हो, तो जिला पदाधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी पदाधिकारी को नामित करेंगे।

नगर पंचायत/नगर परिषद के शिक्षा समिति द्वारा चयनित सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

टिप्पणी :— नगर पंचायत/नगर परिषद का शिक्षा समिति गठित नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी सदस्य होगे।

नगर निगम के लिए समिति :—

क	नगर निगम का महापौर	—अध्यक्ष
ख	नगर निगम की शिक्षा समिति का एक चयनित सदस्य (पुरूष अध्यक्ष होने पर चयनित सदस्य महिला होगी)	—सदस्य
ग	नगर निगम के नगर आयुक्त	—सदस्य सचिव
घ	संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नामित शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी	—सदस्य

उपर्युक्त में अगर कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हो, तो जिला पदाधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी पदाधिकारी को नामित करेंगे।

नगर निगम के शिक्षा समिति द्वारा चयनित सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

टिप्पणी :– नगर निगम का शिक्षा समिति गठित नहीं होने की स्थिति में संबंधित नगर आयुक्त द्वारा मनोनीत एक जिला स्तरीय पदाधिकारी सदस्य होगे।

(viii) पैनल निर्माण समिति के सचिव एवं संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से पैनल तैयार की जायेगी। इस प्रयोजनार्थ, पैनल निर्माण समिति के सचिव उत्तरदायी होंगे। पैनल निर्माण समिति के सचिव मेधा सूची की तैयारी हेतु स्थान एवं तिथि आदि नियत करेंगे और सदस्यों से आवश्यक सहयोग लेंगे। पैनल के प्रत्येक पेज पर उक्त दोनों सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। सदस्य सचिव के द्वारा पैनल निर्माण समिति के अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त कर उसे औपबंधिक रूप से प्रकाशित किया जाएगा। महापौर/मुख्य पार्षद का पद रिक्त रहने अथवा महापौर/मुख्य पार्षद को मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में उप महापौर/उप मुख्य पार्षद, जो संबंधित नगर निकाय के महापौर/मुख्य पार्षद के प्रभार में रहेंगे, से अनुमोदन प्राप्त कर पैनल को औपबंधिक रूप से प्रकाशित किया जाएगा।

(ix) औपबंधिक पैनल पर किसी प्रकार के आपत्ति देने के लिए पन्द्रह (15) दिनों का समय दिया जायेगा। प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कर पैनल को अंतिम रूप दिया जायेगा। पैनल निर्माण समिति द्वारा उक्त पैनल को बहुमत के आधार पर अनुमोदित किया जाएगा। महापौर/मुख्य पार्षद का पद रिक्त रहने अथवा महापौर/मुख्य पार्षद को मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में उप महापौर/उप मुख्य पार्षद, जो संबंधित नगर निकाय के महापौर/मुख्य पार्षद के प्रभार में रहेंगे, के द्वारा पैनल निर्माण समिति की बैठक की अध्यक्षता की जाएगी।

(x) अंतिम रूप से अनुमोदित पैनल एवं रोस्टर बिन्दु के आधार पर चयन सूची का निर्माण सदस्य सचिव के द्वारा किया जाएगा। चयन सूची में कोटिवार अधिकतम 05 गुणा अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जा सकता है। चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों के साथ अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए नियत तिथि, समय एवं स्थान पर बुलाया जायेगा। चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को Merit-cum-choice के आधार पर उपलब्ध रिक्त पदो के अनुरूप विद्यालय का आवंटन परामर्श (काउन्सिलिंग) के माध्यम से किया जायेगा। इसमें दिव्यांग एवं महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थियों से नियुक्ति हेतु सहमति प्राप्त की जायेगी।

अभ्यर्थी की असूचित अनुपस्थिति की दशा में उनके नियुक्ति का दावा स्वतः समाप्त समझा जाएगा।

(xi) प्रकाशित विज्ञप्ति में रिक्त पदों की संख्या के अनुरूप चयनित अभ्यर्थी को पैनल निर्माण समिति से अनुमोदन प्राप्त कर सदस्य सचिव के द्वारा नियुक्ति पत्र (अभ्यर्थी का फोटोग्राफ युक्त) निर्गत किया जायेगा। अभ्यर्थी को समय पर नियुक्ति पत्र मिल सके, इसके लिए प्रशासी विभाग के द्वारा आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किया जायेगा। नियुक्ति पत्र निर्गत होने के तिथि से 21 दिनों के अन्तर्गत संबंधित अभ्यर्थियों को विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में उनके नियुक्ति को निरस्त किया जा सकेगा। सदस्य सचिव के द्वारा अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला अपीलीय प्राधिकार कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

(xii) संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, संबंधित नियोजन इकाई से नियुक्ति पत्र को सत्यापित कराने के बाद ही योगदान स्वीकृत करेंगे।

(xiii) योगदान के समय संबंधित अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक –सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा दिया गया स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं संबंधित जिला के सक्षम पुलिस पदाधिकारी के स्तर से निर्गत चरित्र/पूर्ववृत प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।

(xiv) प्रकाशित रिक्ति के अनुरूप नियुक्ति नहीं होने के स्थिति में पैनल के अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर देने हेतु प्रशासी विभाग द्वारा आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किया जायेगा।

(xv) नियुक्ति की प्रक्रिया को अभ्यर्थियों के अनुकूल बनाने हेतु प्रशासी विभाग द्वारा वेब पोर्टल (सॉफ्टवेयर) बनवाकर नियोजन इकाई की स्वायत्तता बरकरार रखते हुए उक्त नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकेगा।

11. प्रमाण पत्रों की जाँच :–

नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर निकाय का यह दायित्व होगा कि वे शैक्षणिक/प्रशिक्षण या योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्र की यथा आवश्यक जॉच करा लेगे। प्रमाण पत्र जाली या गलत जाये जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतनादि के मद में दिए गए राशि की वसूली कर अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

12. सेवा संबंधी शर्त्ते :–

(i) प्रधान अध्यापक, शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक नियुक्त रह सकेंगे।

(ii) नियुक्ति के बाद प्रथम 02 वर्ष की अवधि परीक्ष्यमान अवधि होगी। इस अवधि में निर्धारित आचरण संहिता का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में स्पष्टीकरण का मात्र एक अवसर प्रदान करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संबंधित की सेवा समाप्त की जा सकती है।

(iii) क्रमशः नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत द्वारा प्रधान अध्यापक, शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष को वेतनादि के भुगतान हेतु सक्षम होने तक राज्य सरकार द्वारा अनुदान की राशि दी जायेगी।

(iv) प्रधान अध्यापक, शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष "Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952" में सन्निहित ई0पी0एफ0 योजना से prospective रूप से आच्छादित होंगे। इनकी मासिक परिलब्धियाँ अन्तर्गत 15000 रूपये प्रति माह के वेतन की राशि पर राज्य सरकार द्वारा अंशदान हेतु अनुदान की राशि दी जाएगी।

(v) प्रधान अध्यापक, शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष को समय–समय पर निर्धारित वेतन (वेतनवृद्धि सहित) एवं अन्य भत्ता देय होगा। जो शिक्षक, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होंगे, उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ पूर्व के नियमावली अन्तर्गत विहित मूल्यांकन (दक्षता जाँच) में उत्तीर्ण होने के उपरांत ही देय होगा। इस प्रकार वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा अथवा मूल्यांकन (दक्षता जाँच) उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। वेतनादि के भुगतान हेतु अनुदान की राशि का आवंटन प्रशासी विभाग द्वारा विहित प्रक्रियान्तर्गत किया जाएगा।

(vi) प्रशासी विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप शिक्षकों की आपसी वरीयता का निर्धारण आवश्यकतानुसार संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा किया जाएगा।

(vii) सेवा की निरंतरता

पूर्व से कार्यरत माध्यमिक शिक्षक का अपने नियोजन इकाई अथवा अन्य नियोजन इकाई अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति होने की स्थिति में सेवा निरन्तरता का लाभ देते हुए मात्र वेतन संरक्षण का लाभ देय होगा। यह लाभ इस नियमावली के प्रवृत्त होने के उपरांत नियुक्त होने वाले शिक्षकों पर ही प्रभावी होगा। इस क्रम में प्रशासी विभाग द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा।

13. **बी0एड0 का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु सवैतनिक अवकाश** :–

इस नियमावली के अधिसूचित होने के पूर्व नगर निकाय अन्तर्गत कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को बी0एड0 का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से मात्र 02 वर्ष तक के लिए सवैतनिक अवकाश

देय होगा। साथ ही, अप्रशिक्षित शिक्षक, जो शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रशैक्षणिक संस्थान में बी०एड० प्रशिक्षु के रूप में नामांकित हैं, को भी सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। यह अवकाश संबंधित नगर निकाय के सदस्य सचिव के द्वारा इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाएगा कि वे प्रशिक्षण के उपरान्त कम से कम पाँच वर्षों तक शिक्षण का कार्य करेंगे। विनिश्चित अवधि के पूर्ण होने के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति में, प्रशिक्षण अवधि में प्राप्त वेतनादि की राशि उसे सरकार के कोषागार में जमा करनी होगी। संबंधित शिक्षक को इस आशय का बॉंड देना आवश्यक होगा। यह राशि लोक माँग के रूप में वसूलनीय होगी।

14. **प्रोन्नति :–**

नगर उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु पैनल का निर्माण किया जाएगा। इस हेतु नियुक्ति के लिए गठित समिति सक्षम प्राधिकार होगा। प्रशासी विभाग द्वारा प्रोन्नति से संबंधित विस्तृत दिशा–निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा।

15. **अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति :–**

माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा जिला/प्रमण्डल/राज्य संवर्ग में पूर्व से कार्यरत शिक्षक/प्रधानाध्यापक/लिपिक/आदेशपाल, नगर निकाय अन्तर्गत नियुक्त शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष एवं इस नियमावली के आलोक मे नियुक्त/प्रोन्नत होने वाले माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षकों, प्रधान अध्यापक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके एक अर्हत्ताधारी आश्रित को संबंधित नगर निकाय क्षेत्राधीन प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध संबंधित नियोजन इकाई द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है। इस हेतु संबंधित आश्रित को सहमति देना आवश्यक होगा। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित प्रावधानों के अनुरूप, नियोजन समिति के द्वारा किया जा सकेगा। इसके इतर भी अनुकंपा पर नियुक्ति की व्यवस्था प्रशासी विभाग द्वारा संकल्प निर्गत कर किया जा सकता है।

16. **स्थानान्तरण :–**

प्रधान अध्यापक, शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष का पद सामान्यतः अस्थानान्तरणीय होगा। परन्तु इसमें निम्न अपवाद होंगे :–

(i) प्रधान अध्यापक, शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष को अपनी सेवा काल में तीन वर्षों के उपरांत नियोजन इकाई के क्षेत्राधीन विद्यालयों में अपने ही संवर्ग/विषय के शिक्षक के पद पर अधिकतम दो ऐच्छिक स्थानान्तरण लेने की सुविधा रहेगी। उक्त दो ऐच्छिक स्थानांतरण के बीच न्यूनतम 05

वर्षों का अंतराल आवश्यक होगा। यदि किसी विद्यालय के एक रिक्त पद हेतु एक से अधिक स्थानान्तरण के आवेदन प्राप्त होते हैं, तो क्रमशः दिव्यांग प्रधान अध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष, शिक्षक एवं महिला प्रधान अध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष, शिक्षक को प्राथमिकता देते हुए आपसी वरीयता के आधार पर स्थानान्तरण की कार्रवाई संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा की जायेगी। इस कार्रवाई की सम्पुष्टि नियुक्ति हेतु गठित समिति के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

(ii) विषय विसंगति के निराकरण एवं शिक्षक के मानक अनुपात को युक्तिसंगत करने हेतु शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय के द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले प्रतिवेदन के आधार पर शिक्षक का समायोजन नियोजन इकाई अन्तर्गत किसी अन्य विद्यालय में संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा की जायेगी। इस कार्रवाई की सम्पुष्टि नियुक्ति हेतु गठित समिति के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

(iii) वित्तीय अनियमितता, नैतिक अधमता (moral turpitude) अथवा गंभीर आरोप प्रमाणित होने की स्थिति में विद्यालय एवं छात्र हित में प्रधान अध्यापक/शिक्षक/ पुस्तकालयाध्यक्ष का प्रशासनिक दृष्टिकोण से एकबार स्थानान्तरण संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा किया जाएगा। इस कार्रवाई की सम्पुष्टि नियुक्ति हेतु गठित समिति के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

(iv) दिव्यांग शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष एवं महिला शिक्षिका/पुस्तकालयाध्यक्ष को धारित पद के समतुल्य पद पर अंतर नियोजन इकाई (अंतर जिला सहित) में उपलब्ध रिक्त पद के सापेक्ष एक बार ऐच्छिक स्थानान्तरण की सुविधा होगी। साथ ही, पुरूष शिक्षकों/पुस्तकालयाध्यक्षों को एक बार अंतर नियोजन इकाई (अंतर जिला सहित) पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा होगी। इस हेतु आरक्षण कोटि, वरीयता आदि को ध्यान में रखकर प्रशासी विभाग द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा।

17. <u>सेवा पुस्ति का संधारण</u> :–

माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, प्रधान अध्यापक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष की सेवा पुस्ति के संधारण हेतु प्रशासी विभाग द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा।

18. <u>अवकाश</u> :–

(1) नगर माध्यमिक शिक्षक/नगर उच्च माध्यमिक शिक्षक, नगर पुस्तकालयाध्यक्ष एवं प्रधान अध्यापक को निम्न अवकाश देय होगा :–

(i) <u>आकस्मिक अवकाश</u> :— एक कैलेण्डर वर्ष में 16 (सोलह) दिनों का आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा। यह अवकाश एक साथ (अन्य अवकाश सहित) 10 (दस) दिनों से अधिक के लिए नहीं दिया जा सकेगा।

(ii) <u>विशेष अवकाश</u> :— महिला प्रधान अध्यापक / शिक्षिकाओं / पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रत्येक माह में दो दिनों का विशेष अवकाश अनुमान्य होगा।

(iii) <u>मातृत्व अवकाश</u> :— महिला प्रधान अध्यापक / शिक्षिका / पुस्तकालयाध्यक्ष 180 दिनों की मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी। मातृत्व अवकाश का लाभ मात्र पहले दो संतानों के लिए ही होगा।

(iv) <u>पितृत्व अवकाश</u> :— पुरूष प्रधान अध्यापक / शिक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष 15 दिनों के पितृत्व अवकाश के हकदार होंगे। पितृत्व अवकाश का लाभ मात्र पहले दो संतानों के लिए ही होगा।

(v) <u>चिकित्सा अवकाश</u> :— एक कैलेण्डर वर्ष में 20 (बीस) दिनों का चिकित्सा अवकाश, चिकित्सा प्रमाण—पत्र के आधार पर अनुमान्य होगा। पूरी सेवा अवधि में कुल 120 दिनों तक ही चिकित्सा अवकाश संचित होगा। किसी भी एक कैलेण्डर वर्ष में यह अवकाश 90 दिनों के लिए ही एक साथ लिया जा सकेगा। इसे आकस्मिक अवकाश के साथ पूर्व या पश्चात् जोड़ा जा सकेगा।

(vi) <u>अर्जित अवकाश</u> :— शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रथम दो वर्ष की सेवा के उपरान्त प्रत्येक वर्ष में ग्यारह (11) दिनों की छुट्टी अर्जित करते हुए अधिकत्तम 120 दिनों तक संचित होगा। 120 दिनों से अधिक अर्जित अवकाश स्वतः समाप्त हो जायेगा। प्रधान अध्यापक को भी यह अवकाश देय होगा।

(vii) <u>अध्ययन अवकाश</u> :— शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष को उनकी सेवा अवधि में अधिकतम तीन वर्ष के लिए अवैतनिक अध्ययन अवकाश अनुमान्य होगा। इस अवकाश की अवधि को सेवा में टूट नहीं माना जाएगा।
यह अवकाश योगदान के 03 वर्ष की न्यूनतम कालावधि पूर्ण करने के उपरांत ही देय होगा। साथ ही, अध्ययन अवकाश उपभोग करने के उपरांत संबंधित शिक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष को एक नियत अवधि तक कार्य करना आवश्यक होगा। प्रधान अध्यापक को भी यह अवकाश देय होगा।
इस हेतु प्रशासी विभाग द्वारा विस्तृत दिशा—निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा।

(viii) <u>असाधारण अवकाश</u> :— उपर्युक्त अवकाशों के अतिरिक्त, किसी कारणवश एक कैलेन्डर वर्ष में 30 दिनों की अवधि के लिए अवैतनिक "असाधारण अवकाश" अनुमान्य होगा। इसके कारण सेवा में टूट नहीं माना जायेगा। तत्पश्चात अनुपस्थित की अवधि को सेवा में टूट माना जायेगा तथा वेतन देय नहीं होगा। अधिकतम 05 वर्ष तक अनुपस्थित रहने की स्थिति में सेवा समाप्त हो जाएगी। इस हेतु संबंधित को एक स्पष्टीकरण का अवसर

प्रदान करते हुए उन्हें सेवा से मुक्त करने की कार्रवाई नियम–10(vii) के तहत गठित समिति के द्वारा की जा सकेगी।

(2) **अवकाश की स्वीकृति** :–

आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश को छोड़कर शेष सभी प्रकार के अवकाशों की स्वीकृति संबंधित प्रधान अध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक की अनुशंसा पर संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव द्वारा दी जायेगी। आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश की स्वीकृति संबंधित विद्यालय के प्रधान अध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा दी जायेगी। इस संवर्ग के प्रधान अध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक के आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश की स्वीकृति भी संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव द्वारा दी जायेगी। प्रधान अध्यापक/शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष की सेवा–पुस्ति–के साथ उनके अवकाश–लेखा का भी संधारण सम्यक रूप से किया जायेगा।

19. **आचरण संहिता** :–

(i) शिक्षक के द्वारा, निर्धारित पाठ्यक्रम को सुगम एवं सुलभ ढ़ंग से पूर्ण करना।

(ii) समय पर विद्यालय आना और निर्धारित रूटीन के अनुसार कक्षा का संचालन करना।

(iii) बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना।

(iv) प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निजी व्यापार में संलग्न नहीं होना।

(v) किसी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करना।

(vi) सामाजिक कुरीतियों विशेषकर बाल–विवाह एवं दहेज–प्रथा को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाना।

(vii) विद्यालय प्रबंधन समिति, नियुक्ति प्राधिकार, जिला पदाधिकारी एवं जिला स्तरीय शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों द्वारा समय–समय पर दिए जाने वाले निदेशों का अनुपालन करना।

(viii) वार्षिक माध्यमिक परीक्षा एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा के सफल संचालन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा समय–समय पर दिए जाने वाले निदेशों का अनुपालन करना।

(ix) किसी भी राजनीतिक दल का अथवा राजनीति में भाग लेने वाले किसी संगठन का न तो सदस्य होना, न अन्यथा रूप से उससे सहयुक्त होना।

20. **अनुशासनिक कार्रवाई** :–

कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा नहीं रखने, निर्धारित आचरण संहिता का निर्वहन नहीं करने एवं छात्र हित/विद्यालय हित के विरूद्ध कार्य करने की स्थिति में

संबंधित शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं प्रधान अध्यापक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु अनुशासनिक प्राधिकार सक्षम होंगे।

उन्हें किसी मामले में जेल में होने अथवा सरकारी राशि के गबन के प्रथम दृष्टया साबित होने/अनधिकृत अनुपस्थिति/उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना का मामला प्रथम दृष्टया साबित होने पर, संबंधित को नगर निकाय के सदस्य सचिव द्वारा निलम्बित किया जा सकता है। निलम्बन अथवा विभागीय कार्यवाही संचालित करने की दशा में आरोप पत्र गठित कर जाँच पदाधिकारी से जाँच कराई जायेगी। संबंधित के विरूद्ध समुचित एवं यथेष्ट कारण होने की स्थिति में निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा :–

(क) लघु दंड– (i) निन्दन
(ii) वेतनवृद्धि पर रोक (असंचयात्मक/संचयात्मक)

(ख) वृहत दंड– (i) प्रोन्नति पर रोक
(ii) निम्न पद पर अवनति
(iii) निम्न वेतन स्तर पर अवनति।
(iv) सेवाच्यूति जो किसी भावी नियुक्ति/नियोजन हेतु निर्हरता नहीं होगी।

(ii) लघु दण्ड देने के पूर्व संबंधित सदस्य सचिव द्वारा स्पष्टीकरण का एक अवसर संबंधित को देना आवश्यक होगा। लघु दण्ड के संसूचन के पूर्व इसपर अध्यक्ष, नियोजन इकाई की सहमति आवश्यक होगी। वृहत दण्ड देने के पूर्व संबंधित सदस्य सचिव द्वारा संबंधित को कम–से–कम दो अवसर स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु देना आवश्यक होगा। वृहत दण्ड के संसूचन के पूर्व इसपर अनुशासनिक प्राधिकार की सहमति आवश्यक होगा।

(iii) निलम्बन अवधि में मूल वेतन का 50% राशि जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में देय होगी।

(iv) दंड सम्बन्धी आदेश संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत होगा। आदेश में उन तथ्यों का पूर्ण ब्यौरा अंतर्विष्ट होगा, जिसके कारण संबंधित को प्रासंगिक दंड के योग्य पाया गया है।

(v) जिला प्रशासन अथवा शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान किसी प्रधान अध्यापक, शिक्षक अथवा पुस्तकालयाध्यक्ष को विद्यालय से बिना सूचना अनुपस्थित पाये जाने पर स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। स्पष्टीकरण असंतोषप्रद होने पर संबंधित प्रधान अध्यापक, शिक्षक अथवा पुस्तकालयाध्यक्ष की अनुपस्थित अवधि का वेतन काटने का निदेश "No work no pay" के सिद्धांत पर दिया जा सकेगा।

21. **नियोजन इकाई पर कार्रवाई** :–

(i) बिना किसी उचित कारण के प्रशासी विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तथा निर्धारित नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार, नियोजन इकाई द्वारा शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करना उनके संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन माना जायेगा और इसके लिए उत्तरदायी पदाधिकारी तथा संबंधित निकाय के प्रतिनिधि के विरूद्ध बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 के सुसंगत धाराओं के अधीन आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

(ii) प्रधान अध्यापक, शिक्षक अथवा पुस्तकालयाध्यक्ष के संबंध में जिला पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर प्राप्त शिकायत की जाँच कराने पर यदि शिकायत सही पाई जाती है और संबंधित प्रधान अध्यापक, शिक्षक अथवा पुस्तकालयाध्यक्ष पर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की जाती हो, तो नियोजन इकाई द्वारा अनुशंसा प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 60 दिनों के अन्दर अपेक्षित अनुशासनिक कार्रवाई करना आवश्यक होगा। अन्यथा की स्थिति में संबंधित अनुशासनिक प्राधिकार के विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा नगर विकास एवं आवास विभाग से की जायेगी, जिस पर संबंधित विभाग के स्तर पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

22. **शिकायत एवं अपील** :–

इस नियमावली के अधीन नियुक्ति संबंधी शिकायत/अपील तथा इस नियमावली के अधीन कार्यरत प्रधान अध्यापक/शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष की सेवाशर्त से जुड़े मामलों पर अपील सुनकर विनिश्चय करने की शक्ति जिला स्तर पर गठित "जिला अपीलीय प्राधिकार" की होगी। जिला अपीलीय प्राधिकार के निर्णय पर अपील सुनने हेतु राज्य स्तर पर गठित "राज्य अपीलीय प्राधिकार" सक्षम होगा।

23. **प्रकीर्ण** :–

(i) प्रशासी विभाग इस नियमावली के किसी भी प्रावधान को स्पष्ट कर सकेगी तथा इसे लागू करने में उत्पन्न कठिनाई को दूर कर सकेगी।

(ii) इस नियमावली का प्रभाव पूर्व की नियमावलियों द्वारा नियुक्त राजकीय, राजकीयकृत (प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक विद्यालय सहित) माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के जिला/प्रमण्डल संवर्ग के शिक्षकों एवं राज्य संवर्ग के प्रधानाध्यापकों के वेतन एवं सेवा शर्त्त पर नहीं होगा।

(iii) राज्य सरकार विषयवार शिक्षकों के नियोजन हेतु निर्दिष्ट विषय एवं विभिन्न अर्हत्ताओं के समतुल्य डिग्री/उपाधि निर्धारित कर सकेगी।

24. <u>निरसन एवं व्यावृत्ति</u> :–

(i) इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से नगर निकाय के कार्यक्षेत्र के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति एंव सेवाशर्त से संबंधित बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2006 एवं संशोधित नियमावली 2008, 2009, 2012, 2014, 2015 एवं 2017 निरसित मानी जाएगी। परन्तु इस निरसन के होते हुए भी इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि के पूर्व तत्कालीन प्रवृत्त नियमावली के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई मानी जाएगी मानों वे सभी इस नियमावली के अधीन किये गए हों।

(ii) पूर्व के नियमावली के क्रियान्वयन के क्रम में निर्गत अधिसूचनाएँ, आदेश, परिपत्र, पत्र आदि में निहित वैसे निदेश, जो इस नियमावली के प्रावधान के अनुकूल नहीं होंगे, वह स्वतः इस नियमावली के प्रावधान के अनुरूप संशोधित समझे जाएंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(आर०के० महाजन)
अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक :–11 / नियमा–01–01 / 2020....1111.... पटना, दिनांक 20.08.2020

<u>**प्रतिलिपि**</u>:–मुख्य सचिव, बिहार / सभी अपर मुख्य सचिव, बिहार / सभी प्रधान सचिव, बिहार / सभी सचिव, बिहार / महालेखाकार, बिहार, पटना / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार / सभी निदेशक, शिक्षा विभाग / सभी निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग / माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव / सभी जिला पदाधिकारी / सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक / सभी उप विकास आयुक्त / सभी नगर आयुक्त / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी (जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय) / कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं नगर पंचायत / सभी कोषागार पदाधिकारी / उप कोषागार पदाधिकारी / सभी संबंधित नियोजन इकाई के अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 11/ नियमा–01–01/2020 1111 पटना, दिनांक 20.08.2020

प्रतिलिपि:–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी 3000 (तीन हजार) प्रतियाँ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार को उपलब्ध करायी जाए।

अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 11/ नियमा–01–01/2020 1111 पटना, दिनांक 20.08.2020

प्रतिलिपि:–आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को संबंधित विभाग के वेबसाईट पर उक्त नियमावली की प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग।